भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †4092

दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

एनसीएमएम के अंतर्गत खानों की पारदर्शी नीलामी

†4092. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन तथा फील्ड सीजन 2025-26 के दौरान अन्य सुधारों के अंतर्गत खनिज अन्वेषण, मुख्य, गौण और महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी तथा नीलाम की गई खानों के परिचालन में तेजी लाई है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) परिचालित किए गए खनिज ब्लॉक तथा घरेलू उत्पादन, निवेश, रोजगार एवं आयात प्रतिस्थापन में उनके योगदान का ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषरूप से कंधमाल, बौद्ध, नयागढ़ और गंजाम में और ओडिशा में गौण खनिजों के संबंध में बजट आवंटन, व्यय, प्राप्त रॉयल्टी/राजस्व का जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा अवैध निष्कर्षण को रोकते हुए वैज्ञानिक, सतत और प्रौद्योगिकी-आधारित खनन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) भारत की दीर्घकालिक खनिज सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए रूपरेखा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क): खान मंत्रालय ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार लाने, खनिज गवेषण में तेजी लाने, प्रमुख और महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करने और नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के समय पर प्रचालन को सुगम बनाने के लिए कई विधायी, नीतिगत और संस्थागत उपाय किए हैं। कार्य सत्र 2025-26 के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक

सर्वेक्षण (जीएसआई) ने देश भर में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर 230 परियोजनाओं सहित 457 खनिज गवेषण परियोजनाओं का क्षेत्र निष्पादन पूरा किया। राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) ने भी वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए 84 गवेषण परियोजनाओं को मंजूरी दी।

(ख): 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरूआत के बाद से, 721 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, जिसमें 459 खनन पट्टा (एमएल) ब्लॉक और 262 समेकित अनुज्ञप्ति (सीएल) ब्लॉक शामिल हैं। इनमें से, 56 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉकों (एमएल-8, सीएल-48) की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 11 गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) ब्लॉकों की भी नीलामी की है, जिनमें महत्वपूर्ण खनिजों के छह ब्लॉक शामिल हैं। इन उपायों ने प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि में भी योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान, लौह अयस्क, चूना पत्थर, क्रोमाइट और कई अन्य खनिजों जैसे प्रमुख खनिजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन 158 एमटी से बढ़कर 312 एमटी, चूना पत्थर का उत्पादन 307 एमटी से बढ़कर 483 एमटी और क्रोमाइट का उत्पादन 2.91 एमटी से बढ़कर 3.37 एमटी हो गया।

(ग): खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अनुसार, राज्य सरकारों को रॉयल्टी और अन्य शुल्कों के निर्धारण और संग्रह सहित गौण खनिज रियायतें देने को विनियमित करने का अधिकार है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 23ग के तहत, राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण निवारण के लिए नियम बनाने का अधिकार है। ओडिशा सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, ओडिशा में और साथ ही कंधमाल, बौध, नयागढ़ और गंजम जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी/राजस्व और बजट आवंटन और व्यय का विवरण अनुलग्नक-1 दिया गया है।

ओडिशा सरकार ने आगे बताया है कि उसने वैज्ञानिक, सतत और प्रौद्योगिकी-चालित खनन को बढ़ावा देने और गौण खनिजों के अवैध निष्कर्षण को रोकने के लिए कई उपाय अपनाए हैं। इनमें जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) की तैयारी और समय-समय पर संशोधन, ई-लॉटरी के माध्यम से गौण खनिज संसाधनों का डिजिटल आवंटन, अनिवार्य वैधानिक मंजूरी, एकीकृत गौण खनिज खनन प्रबंधन प्रणाली (आई4एमएस) का कार्यान्वयन, ऑनलाइन ई-ट्रांज़िट पास (ई-टीपी) प्रणाली, डीजीपीएस और ड्रोन सर्वेक्षण, प्रौद्योगिकी–आधारित निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से और जीपीएस-सक्षम निगरानी, बहु-स्तरीय

प्रवर्तन तंत्र, प्रवर्तन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं, नियमित संयुक्त छापामारी, और पर्यावरण की दृष्टि से सतत खनन पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है।

(घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीर्घ-कालिक महत्वपूर्ण खनिजों की सतत आपूर्ति को सुनिश्चित करने और खनिज गवेषण और खनन से लेकर संवर्धन, प्रसंस्करण और एंड-ऑफ-लाइफ उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक सभी चरणों को शामिल करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 29 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को मंजूरी दी है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोतों में विविधता लाने, आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को सुदृढ़ करने और घरेलू महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण, उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के छह ब्लॉकों सहित 11 ब्लॉकों की गवेषण अनुज्ञप्ति की भी सफलतापूर्वक नीलामी की है।

(ii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 1957 में वर्ष 2025 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत महत्वपूर्ण खनिज गवेषण और विदेशों में खनन को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) के दायरे का विस्तार किया गया है।

(iii) केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान, 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया था। बजट 2025-26 में, कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरियों के स्क्रैप आदि पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से छूट प्रदान की गई थी। इसके अलावा, बजट 2026-27 में, भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर बीसीडी से छूट प्रदान की गई थी।

(iv) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में वर्ष 2023 में गहराई में स्थित और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) व्यवस्था शुरू करने के लिए संशोधन किया गया था। ईएल धारक खनन पट्टा/समेकित अनुज्ञप्ति धारक द्वारा देय नीलामी प्रीमियम में एक भाग का हकदार है, जैसा कि निर्धारित किया गया है।

(v) खनिज गवेषण में निजी-क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए, समेकित अनुज्ञप्ति (सीएल) धारकों (50% तक की प्रतिपूर्ति, 8 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन) और गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) धारकों (व्यय का 50% तक, अधिकतम

सीमा 20 करोड़ रुपये के साथ) के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति की स्कीम शुरू की गई है।

(vi) खान मंत्रालय ने अपतट सीएल ब्लॉकों में अनुमोदित गवेषण कार्यकलापों पर समेकित अनुज्ञप्ति (सीएल) धारकों द्वारा किए गए पात्र गवेषण व्यय के 50% तक की प्रतिपूर्ति के लिए एक स्कीम शुरू की है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 करोड़ रुपये तक की है।

(vii) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम को दिनांक 02.10.2025 को लॉन्च किया गया था।

(viii) ओवरबर्डन/टेलिंग्स/फ्लाइ ऐश/रेड मड आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए पायलट परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश दिनांक 14.11.2025 को जारी किए गए थे।

(ix) विदेशी क्षेत्राधिकारों में खनिज गवेषण करने के लिए भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए, खान मंत्रालय ने दिनांक 16 जुलाई 2026 को "विदेशी खनिज गवेषण संवर्धन दिशानिर्देश" प्रसारित किए।

अनुलग्नक I

'एनसीएमएम के अंतर्गत खानों की पारदर्शी नीलामी' के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित संसदीय प्रश्न संख्या 4092 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

गौण खनिजों पर बजट आवंटन और व्यय (करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन	व्यय
2023-24	1.80	0.50
2024-25	117.59	5.67
2025-26	177.61	14.05

गौण खनिजों से रॉयल्टी/राजस्व संग्रह (करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	ओडिशा में कुल राजस्व संग्रह	कंधमाल	बौध	नयागढ़	गंजम
2023-24	1,487.55	23.17	18.96	25.57	125.11
2024-25	1,776.10	30.58	26.17	34.08	143.63
2025-26	1,841.56	29.38	42.67	35.18	118.81